

**CSIR – HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP
CSIR COMPLEX, LIBRARY AVENUE, PUSA, NEW DELHI – 110 012**

No. Advisory/2/2023-24/EMR I

Date: 05-01-2026

OFFICE MEMORANDUM

Kind attention of all concerned is again invited to the provisions contained in Clause 16 of Junior Research Fellowships guidelines/Research Associateships issued by CSIR HRDG which inter alia stipulate that request for transfer of fellowship/associateship will not be entertained except on compelling circumstances for which the fellow/associate& his/her guide should submit proper justification. They further also stipulate that no fellow/associate will be allowed to join another institute without seeking prior approval from CSIR for "transfer of fellowship/associateship" and if he/she joins elsewhere without approval of CSIR, his/her fellowship/associateship will be terminated.

Despite having cautioned everyone to explicitly follow the above provisions on many occasions, elaborated vide office memorandum of even number dated 5th March 2024 (copy enclosed), it has been observed that many research fellows/associates are leaving their present universities/institutes/colleges and joining other universities/institutes/colleges, on transfer of fellowship, without prior specific approval of CSIR. This is resulting in rejection of their applications and termination of their fellowships/associateships.

All the concerned stakeholders, i.e., checkers/makers of all the universities/institutes/colleges, research fellows/associates, and guides/research supervisors, are once again advised to adhere to the provisions of Clause 16 of the CSIR Junior Research Fellowships/Associateships vis-à-vis the transfer of fellowship/associateship and comply with the procedural requirements in cases of transfer of fellowships, reiterated vide office memorandum of even number dated 5th March 2024.

In the event of non-compliance of the same, the fellowships/associateships of those found violating the above provisions shall be terminated forthwith.

Encl: As stated.

Trivedi 05/01/26

(Yagnesh R Trivedi)

UNDER SECRETARY, EMR I

Copy to:

1. Directors/Vice Chancellors/Registrars/Principals of all the Institutes/Universities/Colleges
2. Research Supervisors/Guides of all the Institutes/Universities/Colleges
3. Checkers/Makers of all Institutes/Universities/Colleges
4. All Research Fellows/Associates through CSIR HRDG website
5. Head, IT – With a request to publish this OM on the CSIR HRDG website
6. Head, Helpdesk - With a request to assist the stakeholders in line with the contents of this OM.

**CSIR – HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP
CSIR COMPLEX, LIBRARY AVENUE, PUSA, NEW DELHI – 110 012**

No. Advisory/2/2023-24/EMR I

Date: 05-03-2024

OFFICE MEMORANDUM

Kind attention of all concerned is invited to the provisions contained in Clause 16 of Junior Research Fellowships guidelines/Research Associateships issued by CSIR HRDG which inter-alia stipulate that request for transfer of fellowship/associateship will not be entertained except on compelling circumstances for which the fellow/associate & his/her guide should submit proper justification. They further also stipulate that no fellow/associate will be allowed to join another institute without seeking prior approval from CSIR for "transfer of fellowship/associateship" and if he/she joins elsewhere without approval of CSIR, his/her fellowship/associateship will be terminated.

However, it has been observed with concern that the Universities/Institutes/Colleges and the Fellows/Associates are not adhering to the above provisions pertaining to the transfer of fellowship.

In view thereof, it is once again reiterated that;

- (1) As per the above provisions, it is mandatory to obtain **prior approval of CSIR HRDG** for transfer of fellowship/associateship.
- (2) The Fellows/Associates must not withdraw from the PhD programme/leave from their present Host Institutes on their own without obtaining prior approval from CSIR HRDG for transfer of fellowship.
- (3) The Universities/Institutes/Colleges from where the transfer is sought must not relieve the Fellow/Associate without receiving specific approval for transfer from CSIR HRDG.
- (4) The Universities/Institutes/Colleges where the transfer is proposed to be made must not allow the Fellow/Associate to join without receiving specific approval for transfer from CSIR HRDG.
- (5) Transfer of fellowship is not allowed during last six months of the tenure.
- (6) NOCs from supervisor and Head of Department of University/Institute from where transfer is sought and consent of the Guide/Host Institute where Fellowships is sought to be transferred by giving reasons of transfer are mandatory for seeking transfer.
- (7) The Checkers/Makers of the Host Institutes are advised to take note of the above instructions in letter and spirit and to forward the transfer applications of the Fellows/Associates in conformity with the above instructions.
- (8) **Fellowship/Associateship of such Fellow/Associate who withdraws from her/his present Host Institute and joins elsewhere without prior approval of CSIR HRDG will be terminated.**

All concerned may note for information, guidance and strict compliance.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yagnesh R Trivedi
5/3/24
(Yagnesh R Trivedi)

UNDER SECRETARY, EMR I

Copy to:

1. All Directors/Vice Chancellors/Registrars/Principals of the Institutes/Universities/Colleges
2. All Research Supervisors/Guides of the Institutes/Universities/Colleges
3. All Checkers/Makers of Institutes/Universities/Colleges
4. All Research Fellows/Associates through CSIR HRDG website
5. Head, IT – With a request to publish this OM on the CSIR HRDG website
6. Head, Helpdesk - With a request to assist the stakeholders in line with the contents of this OM.

सीएसआईआर - मानव संसाधन विकास समूह
सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली - 110 012

क्रमांक: एडवाइजरी/2/2023-24/EMR I

दिनांक: 05-01-2026

कार्यालय ज्ञापन


सभी संबंधित लोगों का ध्यान CSIR HRDG द्वारा जारी जूनियर रिसर्च फेलोशिप गाइडलाइंस/रिसर्च एसोसिएटशिप के क्लॉज़ 16 में दिए गए प्रावधानों की ओर फिर से दिलाया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त है कि फेलोशिप/एसोसिएटशिप के ट्रांसफर के लिए अनुरोध तभी स्वीकार किया जाएगा जब कोई मज़बूत कारण हो, जिसके लिए फेलो/एसोसिएट और उनके गाइड को उचित कारण बताना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी फेलो/एसोसिएट को CSIR से "फेलोशिप/एसोसिएटशिप के ट्रांसफर" के लिए पहले से मंजूरी लिए बिना किसी दूसरे संस्थान में कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि वह CSIR की मंजूरी के बिना कहीं और कार्यग्रहण करता है, तो उसकी फेलोशिप/एसोसिएटशिप समाप्त कर दी जाएगी।

कई बार सभी को उपरोक्त प्रावधानों का स्पष्ट रूप से पालन करने की चेतावनी देने के बावजूद, जैसाकि 5 मार्च 2024 के समान संख्या वाले ऑफिस मेमोरेंडम (कॉपी संलग्न) में विस्तार से बताया गया है, यह देखा गया है कि कई रिसर्च फेलो/एसोसिएट CSIR की पहले से विशेष मंजूरी के बिना, फेलोशिप के ट्रांसफर पर अपने वर्तमान विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों को छोड़कर दूसरे विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में कार्यग्रहण कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके आवेदन खारिज हो रहे हैं और उनकी फेलोशिप/एसोसिएटशिप समाप्त की जा रही है।

सभी संबंधित हितधारकों, यानी सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों के चेकर्स/मेकर्स, रिसर्च फेलोज़/एसोसिएट्स और गाइड्स/रिसर्च सुपरवाइजर्स को एकबार फिर सलाह दी जाती है कि वे CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप/एसोसिएटशिप के क्लॉज़ 16 के प्रावधानों का पालन करें, खासकर फेलोशिप/एसोसिएटशिप के ट्रांसफर के संबंध में, और 5 मार्च 2024 के समान संख्या वाले ऑफिस मेमोरेंडम में दोहराई गई फेलोशिप/एसोसिएटशिप के ट्रांसफर के मामलों में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करें।

यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों की फेलोशिप/एसोसिएटशिप तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

संलग्नक: यथोपरि


यशवंत त्रिपाठी
05/01/26
(यशवंत आर त्रिपाठी)
अवर सचिव, EMR I

प्रतिलिपि:

1. सभी संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के निदेशक/कुलपति/रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल
2. सभी संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के अनुसंधान पर्यवेक्षक/गाइड
3. सभी संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के चेकर/मेकर
4. CSIR HRDG वेबसाइट के माध्यम से सभी अनुसंधान फेलो/एसोसिएट्स
5. हेड, IT - इस OM को CSIR HRDG वेबसाइट पर प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ
6. हेड, हेल्पडेस्क - इस OM की सामग्री के अनुसार हितधारकों की सहायता करने के अनुरोध के साथ।

कार्यालय शापन

सीएसआईआर एचआरडीजी द्वारा जारी जूनियर रिसर्च फेलोशिप दिशानिर्देशों/रिसर्च एसोसिएटशिप के खंड 16 में निहित प्रावधानों पर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि फेलोशिप के हस्तांतरण के अनुरोध पर बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए फेलो/एसोसिएट और उसके साथी गाइड को उचित औचित्य प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी फेलो/एसोसिएट को “फेलोशिप/एसोसिएटशिप के हस्तांतरण” के लिए सीएसआईआर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी अन्य संस्थान में कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि वह सीएसआईआर की मंजूरी के बिना कहीं और कार्यग्रहण करता है, तो उसकी फेलोशिप/एसोसिएटशिप समाप्त कर दी जाएगी।

हालाँकि, यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज और फेलो/एसोसिएट्स फेलोशिप के हस्तांतरण से संबंधित उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं।

आगेकल को ध्यान में रखते हुए यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि:

1. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, फेलोशिप/एसोसिएटशिप के हस्तांतरण के लिए सीएसआईआर एचआरडीजी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।
 2. फेलोशिप/एसोसिएटशिप के हस्तांतरण के लिए सीएसआईआर एचआरडीजी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना फेलो/एसोसिएट्स को स्वयं पीएचडी कार्यक्रम/यजमान संस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए।
 3. जिन विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों से स्थानांतरण की मांग की गई है, उन्हें स्थानांतरण के लिए सीएसआईआर एचआरडीजी से विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना फेलो/एसोसिएट को कार्यमुक्त नहीं करना चाहिए।
 4. जिन विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में स्थानांतरण का प्रस्ताव है, उन्हें सीएसआईआर एचआरडीजी से स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना फेलो/एसोसिएट को कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
 5. कार्यकाल के अंतिम छह महीनों के दौरान फेलोशिप के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।
 6. जिस विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरण मांगा गया है, उसके पर्यवेक्षक और विभागाध्यक्ष से एनओसी और गाइड/मेजबान संस्थान जहां स्थानांतरण का कारण बताकर फेलोशिप स्थानांतरित करने की मांग की गई है, की सहमति स्थानांतरण मांगने के लिए अनिवार्य है।
 7. मेजबान संस्थानों के चेकर्स/मेकर्स को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त निर्देशों को अक्षरशः ध्यान में रखें और उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप ही अध्येताओं/सहयोगियों के स्थानांतरण आवेदनों को अग्रेषित करें।
 8. ऐसे फेलो/एसोसिएट की फेलोशिप/एसोसिएटशिप, जो सीएसआईआर एचआरडीजी की पूर्व मंजूरी के बिना अपने वर्तमान मेजबान संस्थान छोड़ देते हैं और कहीं और कार्यग्रहण कर लेते हैं, को समाप्त कर दिया जाएगा।

मापि मंहंशित जानकारी मार्गदर्शन और सख्त अनुपालन के लिए नोट करें।

यह सभ्य माधिकारी के अनमोदन से जारी किया जाता है।

नव्वेद्य नव्वेद्य 5/3/24
 (यज्ञेश आर त्रिवेदी)
 अवर सचिव, ईएमआर।

Copy to:

1. संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सभी निदेशक/कुलपति/रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल
 2. संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सभी अनुसंधान पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक
 3. संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सभी चेकर्स/मेकर्स
 4. सभी अनुसंधान छात्रों/अध्येताओं को सीएसआईआर एचआरडीजी वेबसाइट के माध्यम से
 5. प्रमुख, आईटी - इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर एचआरडीजी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ
 6. हेड, हेल्पडेस्क - इस ओएम की सामग्री के अनुरूप हितधारकों की सहायता करने के अनुरोध के साथ।